

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी, भीलवाड़ा**

**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)**

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 56/2022 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री शंकर लाल जीनगर पुत्र मोहन बनाम लोक सूचना अधिकारी व जिला  
लाल निवासी बस स्टेण्ड के पास, रसद अधिकारी, भीलवाड़ा  
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

**निर्णय**

दिनांक : 27.07.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 03.06.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक 26.04.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.06.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक 1747 दिनांक 30.06.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी सूचना तैयार कर, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्रांक 1747 दिनांक 30.06.2022 से अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना तैयार कर अपीलार्थी को उक्त सूचना प्राप्ति हेतु सूचित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार नियमानुसार उपलब्ध करावें एवं भविष्य में आपके कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों का अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में ही निस्तारण करें।

आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेंट अधिकारी  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा